क्रम संख्या–34

रजि. नं. एल.डब्ल्यू/एन.पी.501

लाइसेन्स नं0डब्ल्यू0पी0––41

(लाइसेन्स टू पोस्ट एंड कन्सेशनल रेट)

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग––1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 20 जनवरी, 1990

पौष, 30 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1
सं0–276/सत्रह–वि–1––1(क)–3–1990
लखनऊ, 20 जनवरी, 1990

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990, पर दिनांक 20 जनवरी, 1990 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1990 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1990)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–– (1) यह अधिनियम प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायगा। (2) यह दिनांक 30 दिसम्बर, 1989 का प्रवृत्त हुआ समझ जायगा।	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का	2––उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक ''31 दिसम्बर 1989'' के स्थान पर शब्द और अंक ''30 जून 1990'' रख दिये जायेंगे।

संशोधन		
धारा 35 का संशोधन	3––मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक ''31 दिसम्बर 1989'' के स्थान पर शब्द और अंक ''30 जून 1990'' रख दिये जायेंगे।	
निरसन और अपवाद	4–– (1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा–संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धो के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1988 और संख्या 1989

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।